कार्यालय प्रमुख ... विभागाध्यक्ष
17 FEB 2018
उत्तराखण्ड लोक नि.

PE(V)
17/02/18

प्रभारी सचिव नियोजन की अध्यक्षता में दिनांक 14.02.2018 को CPWD निर्धारित Cost Index पर विमर्श तथा DSR के स्थान पर SOR Uttarakhand गठित करने के सम्बन्ध में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

2केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग(CPWD)द्वारा अपने कार्यालय–ज्ञाप संख्या 22(1) cost Index/मुख्य अभियन्ता(उ0अं–IV)1013 दिनांक 08 जून, 2017 से उत्तराखण्ड राज्य के लिये विभिन्न स्थानों के cost Index जारी किये गये है तथा प्रकाश में आया है कि वर्ष 2017 हेतु 01 अप्रैल, 2017 से निर्गत cost Index 2016 के सापेक्ष अप्रत्याशित रूप से बढाये गये है। योजना आयोग के स्तर पर जॉच के दौरान यह भी पाया गया कि, विभागों के प्राकलन में 2017 के cost Index के लगाने में एकरूपता नहीं है। इस स्थिति पर सम्यक विचार–विमर्श हेतु सचिव (प्रभारी), नियोजन विभाग के कक्ष में एक बैठक आज दिनांक 14.02.2018 को आयोजित की गई। बैठक में उपस्थिति–

एस0 के0 गुप्ता	– मुख्य महाप्रबन्धक जल संस्थान
एस0 सी0 जैन	– मुख्य महाप्रबन्धक पेयजल निगम
मनोज पन्त	– संयुक्त निदेशक अर्थ एवं संख्या
सुशील कुमार	– निदेशक अर्थ एवं संख्या
देवेन्द्र शाह	– अधिशासी अभि0 लो0नि0वि0
एच0 के0 कटियार	– अधिशासी अभि0 सिंचाई
एस0 सी0 पन्त	– महाप्रबन्धक जल निगम
मनोज सिंह पंवार	– सहायक अभि0 लो0 नि0 वि0
डी0 सी0 वर्मा	– सहायक अभि0 टी0 ए0 सी0 वित्त
वी0 एस0 बिष्ट	– प्रभारी टी0ए0सी0
के0 एम0 सिंह	– सहायक अभि0 पेयजल निगम
संदीप पाण्डेय	– अर्थ एवं संख्या
रश्मि हलदर	– उप निदेशक अर्थ एवं संख्या

(SOR/Civic)

I.T
Upload करें
19.2.18

एच0 पी0 उनियाल – सलाहकार योजना आयोग

राम कुमार – सलाहकार योजना आयोग

जी0 सी0 जोशी – सलाहकार योजना आयोग

जी0 पी0 पन्त – तकनीकी विशेषज्ञ

1. बैठक में पी0डब्ल्यू0डी, सिंचाई विभाग, जल निगम, जल संस्थान, टी0ए0सी0वित्त के साथ–साथ राज्य योजना आयोग के सलाहकार एवं अर्थ एवं सख्या विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे।
2. देहरादून में तैनात CPWD के अधीक्षण अभियन्ता श्री यादव को आमन्त्रित किया गया किन्तु उनके द्वारा प्रतिभाग नहीं किया गया।
3. विचार–विमर्श में सभी विभागों के प्रतिनिधियों द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया कि वर्ष 2017 में निर्गत cost Index में विगत वर्षो की अपेक्षा अप्रत्याशित वृद्धि की गई है। इस बात का कोई स्पष्ट औचित्य भी स्पष्ट नहीं है। विगत वर्षो में cost Index में हुई वृद्धि का तुलनात्मक विवरण संलग्न है।
4. CPWD द्वारा उपरोक्त सूचकांक (cost Index) DPAR-2012 को आधार मानकर निर्धारित किया गया है।
5. PWD के प्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराया गया कि उनके विभाग में–
   - भवन निर्माण कार्यो हेतु DSR की दरें
   - PMGSY में स्वीकृत कार्यो हेतु MORD की दरें
   - राष्ट्रीय राजमार्गो एवं सेतु कार्य हेतु MORT & H की दरें
   - मार्ग एवं अन्य कार्यो हेतु जो दरें उपरोक्त schedule of rates में नहीं है उन्हें PWD द्वारा निर्धारित SOR से कार्य करवाया जा रहा है।

   उनका यह भी कथन था कि उपरोक्त स्थिति से कई बार कार्यो में भ्रम एवं गलती होने की सम्भावना बनी रहती है। उनका निश्चित मत था कि सभी कार्यो के लिये पूर्व में PWD द्वारा निर्धारित SOR के अनुसार कार्य कराये जाने में सुगमता के साथ–साथ गलती की भी सम्भावना कम होगी।
6. जल निगम तथा जल संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा भी उपरोक्त स्थिति अपने विभागों में भी पाये जाने की पुष्टि की गई। जल निगम में अपने SOR के schedule के अतरिक्त DSR एवं SOR, PWD भी अपनाया जा रहा है।
7. जल संस्थान का मत था कि उन्हें अपने छोटे–छोटे कार्यो के लिये जल निगम के SOR पर कार्य करने में कठिनाई है, क्योंकि जल निगम की दरें Trun-key कार्यो पर आधारित है, जबकि इनके यहाँ परिस्थितियाँ

भिन्न होती है। मुख्य महाप्रबन्धक जल संस्थान द्वारा अवगत कराया गया कि जल संस्थान द्वारा अपना ही एक SOR तैयार किया गया है जिस पर वित्त विभाग की अनुमति अपेक्षित है।

8. CPWD के अधिकारियो से दूरभाष पर वार्ता करने पर ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा cost Index में वृद्धि का आधार Contactor से दरें प्राप्त कर निर्धारित किया जाता है।
9. सुझाव है कि 01 अप्रैल, 2018 से समस्त प्रदेश के लिये PWD द्वारा पूर्व में निर्गत SOR में आवश्यक संशोधन एवं अतिरिक्त आईटम बढा कर सभी विभागों के लिये एक ही पुस्तक में सभी दरें निर्धारित की जाय।
10. जल निगम, जल संस्थान, पावॅर कॉरपोरेशन आदि ऐसे विभाग जिनके SOR वर्तमान तक अलग–अलग है उनके प्रतिनिधियों को दर निर्धारण समिति में सम्मिलित करते हुये PWD के SOR में ही इन विभागों के लिये भी विशेष कार्यो की दरें निर्धारित की जाय तथा पूरे प्रदेश में यही दरें लागू की जाये।
11. पूर्व में Height एवं Distance के आधार पर cost Index की लागू व्यवस्था का भी अध्ययन कर लिया जाय तथा यदि आवश्यक हो तो ब्लॉक हेतु निर्धारित दरों पर यह cost Index व्यवहारिकता के आधार पर लागू किया जाय।

उपरोक्तानुसार CPWD की DSR- 2017 Index के सम्बन्ध में सम्यक विचार–विमर्श के पश्चात् निम्न बिन्दुओं पर सहमति हुई।

1. CPWD द्वारा ठेकेदारों से दरें प्राप्त कर cost Index निर्धारित किया जाना एक Flawed प्रकिया है। नियमानुसार विभिन्न आईटमस की दरों का निर्धारण डिलर्स से दरें प्राप्त कर तथा निर्मित/निर्माण प्रोजेक्ट की दरों का विश्लेषण कर न्यूनतम दर के आधार पर किया जाना चाहियें।
2. CPWD द्वारा 2012 में निर्धारित Delhi plinth area rate(DPAR) के आधार पर ही विभिन्न स्थानों के लिये cost Index के रूप में cost of construction प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है। प्रतिवर्ष की जाने वाली वृद्धि में 2012 के सापेक्ष Inflation तथा सामग्री के मूल्य में समस्त कर एवं वैट आदि को सम्मिलित कर cost Index निर्धारित किया जाता है। अतः वर्ष 2016 एवं 2017 की दरों में इतना अधिक अन्तर मान्य नहीं है।
3. सुझाव है कि इस वित्तीय वर्ष की अल्प अवधि को देखते हुये CPWD द्वारा निर्गत वर्ष 2017 का cost Index के स्थान पर वर्ष 2016 हेतु निर्गत cost Index को ही वर्ष 2017–18 के लिये मान्य कियाँ जाय ताकि कार्यो में कोई गतिरोध न उत्पन्न हों।
4. DSR -2016 की दरों में VAT,Octeroi, Excise duty आदि शामिल है। परन्तु सर्विस टैक्स पृथक से दिया जाता था। जी0एस0टी0 लागू होने के बाद उक्त व्यवस्था लागू किया जाना सम्भव नहीं है। PWD द्वारा 11.01.18 को पत्र के माध्यम से यह निर्देश प्रसारित किया गया है कि DSR -2016 की दरें लगाने के पश्चात् कोई टैक्स पृथक से न जोडा जाय़ अर्थात् जी0एस0टी0 सहित माना जाय। यह भी